

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11178/ ५१०९

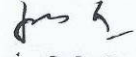
दिनांक :- 6.1.2020

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री अवधेश कुमार मथुरिया [लिंक न. 11178] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 13/10/2018 से 15/10/2018 तक 3 दिवस
दिनांक 07/03/2019 से 09/03/2019 तक 3 दिवस
कुल 6 दिवस

उक्त कुल 6 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री अवधेश कुमार मथुरिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11178/ ५१०९

दिनांक :- 6.1.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूत्रनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर
2. श्री /श्रीमती / सुश्री अवधेश कुमार मथुरिया [11178] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, सवाई माधोपुर
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)
राजस्थान, जयपुर